राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14010/2017

मोहनलाल पुत्र श्री प्रताप जी, निवासी पावटा सब्जी मंडी, हाथियों की बावड़ी, जोधपुर। ----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य सचिव, प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से।

2. निदेशक प्राथमिक शिक्षा, निदेशालय बीकानेर।

3. उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जोधपुर।

4. जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जोधपुर।

5. अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सह ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति मंडोर, जोधपुर।

6. प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय थबुकाड़ा पंचायत समिति मंडोर, राजस्थान। ----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री डी.एस. सोढ़ा

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री ललित पारीक

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

13/05/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक), जोधपुर द्वारा पारित दिनांक 25.04.2012 (अनुलग्नक-12) के आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके अनुसार अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने कथित रूप से राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 (जिसे आगे 'नियम 1958' कहा जाएगा) के नियम 16 के अंतर्गत प्रक्रिया का पालन किए बिना उसे 18.10.1979 से 19.01.2007 तक जानबूझकर ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का दोषी ठहराया और उसे पिछली सेवा से वंचित कर दंडित किया।

2. रिट याचिका में प्रस्तुत प्रासंगिक तथ्य यह है कि 27.01.1979 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता को 150/- रुपए प्रतिमाह के निश्चित वेतन पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था तथा 17.10.1979 के आदेश के तहत उसकी सेवाओं को नियमित किया गया था।

2.1. याचिकाकर्ता किसी मानसिक बीमारी के कारण 01.07.1998 से 26.07.1999 तक अनुपस्थित रहा। 27.07.1999 को सक्षम प्राधिकारी से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद वह अपना कार्यभार ग्रहण करने गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने उच्च प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना उसे कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी। तत्पश्चात 19.01.2007 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, थाबुकाडा, मंडोर में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी गई।

2.2. कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात्, उन्हें 01.07.1998 से 18.01.2007 तक जानबूझकर ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के लिए 1958 के नियम 17 के अंतर्गत आरोप-पत्र दिया गया।

2.3. तत्पश्चात प्रतिवादियों ने 30.06.2011 के ज्ञापन के माध्यम से याचिकाकर्ता को 1958 के नियम 16 के अंतर्गत एक और आरोप-पत्र दिया। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने 1958 के नियम 16 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना 25.04.2012 को एक आदेश पारित कर याचिकाकर्ता को 18.10.1979 से 19.01.2007 तक जानबूझकर ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का दोषी ठहराया तथा पिछली सेवा जब्त करने का दण्ड भी दिया।

2.4. याचिकाकर्ता ने 25.04.2012 के आदेश से व्यथित होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। हालांकि, आज तक इस पर निर्णय नहीं हुआ है। इसके बाद, प्रतिवादियों को 19.09.2016 को कानूनी नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन आज तक इस संबंध में कोई जवाब नहीं मिला है। इसलिए यह याचिका दायर की गई है।

3. प्रतिवादियों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता जानबूझकर अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित रहा, इसलिए उसे राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 86(1) के प्रावधानों के अनुसार डिफॉल्टर घोषित किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा अपनी बीमारी के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। रिट याचिका पांच वर्ष के अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। याचिकाकर्ता द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की गई। वास्तव में उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, जोधपुर ने दिनांक 09.09.2013 के कार्यालय पत्र (अनुलग्नक-आर/2) के माध्यम से याचिकाकर्ता को सूचित किया कि वह नियम 1958 के प्रावधानों के तहत अपील दायर कर सकता है।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है और मामले की फाइल का अध्ययन किया है।

5. मैं यह देखने के लिए बाध्य हूं कि सत्य कल्पना से भी अधिक विचित्र है, जैसा कि वर्तमान मामले में सामने आया है। विचित्र सत्य, जो कि दलीलों के दौरान प्रतिवादियों का बचाव है, वह यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 2012 में अपील दायर किए जाने के बाद से वह अपीलीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है। यही कारण है कि अपील पर निर्णय नहीं हो सका। वास्तविकता कुछ और ही प्रतीत होती है, जैसा कि 18.09.2016 के कानूनी नोटिस (अनुलग्नक-14) से पता चलता है, जिसे याचिकाकर्ता के वकील ने अपील के निर्णय के लिए काफी समय तक प्रतीक्षा करने के बाद जारी किया था और अपीलीय प्राधिकारी से इस पर निर्णय लेने की प्रार्थना की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

6. बहस के दौरान, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने 09.09.2013 के कार्यालय पत्र (अनुलग्नक-आर/2) का हवाला दिया, जिसके तहत याचिकाकर्ता को अपील के निपटान के लिए अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया था। उसके बाद क्या हुआ जिसके कारण अपील किसी बाधा के अभाव में 12 वर्षों तक लंबित रही, इस बारे में रिकॉर्ड पर कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया, सिवाय इस कमजोर बहाने के कि 09.09.2013 के पत्र जारी होने के बाद याचिकाकर्ता की गैरहाजिरी के कारण अपील लंबित रही।

7. यदि यह याचिकाकर्ता की गैरहाजिरी का मामला होता, तो यह समझ से परे है कि वह दूसरी ओर वकील क्यों नियुक्त करता और प्रतिवादियों से अपील पर निर्णय लेने का अनुरोध करते हुए कानूनी नोटिस क्यों जारी करता। इसके लिए कोई उचित औचित्य नहीं है।

8. इस आधार पर, प्रतिवादियों के उदासीन दृष्टिकोण और उदासीन रवैये के कारण मैं याचिकाकर्ता के इस रुख को स्वीकार करने के लिए बाध्य हूँ कि यह प्रतिवादियों की ओर से सरासर निष्क्रियता है, जिसके परिणामस्वरूप

असाधारण देरी हुई है। प्रतिवादियों की इतनी लंबी चूक और निष्क्रियता के लिए, इस तत्काल याचिका को केवल इसी आधार पर स्वीकार किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता को और अधिक कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए। इस तरह की अत्यधिक अवधि तक अपील को लंबित रखने की निष्क्रियता के कारण उसके अधिकार सरासर लापरवाही से समाप्त हो गए हैं।

9. उपरोक्त के मद्देनजर, याचिका को स्वीकार किया जाता है और दिनांक 25.04.2012 के विवादित आदेश को आगामी परिणामों के साथ रद्द किया जाता है। विवादित आदेश को रद्द करने का लाभ याचिकाकर्ता को आवश्यक गणना करने के बाद तत्काल आदेश की वेब प्रिंट के साथ प्रतिवादियों से संपर्क करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर दिया जाना चाहिए।

10. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।